न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 23/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. गणेश कुमार पुत्र रामेश्वर, जाति सैन, निवासी 114, बड़े मंदिर के पास, भोजपुर, तह. खण्डेला, जिला सीकर, पिन– 332709। ऋणी
2. आशा देवी पत्नी गणेश कुमार, जाति सैन, निवासी 114, बड़े मंदिर के पास, भोजपुर, तह. खण्डेला जिला सीकर पिन–332709। सहऋणी
3. सेडूराम पुत्र रघुनाथ, जाति सैन, निवासी 218, पुराना बाजार, पलसाना तह. दांतारामगढ़, जिला सीकर पिन–332402। जमानती

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांकः 17 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विजय सिंह तंवर द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण गणेश कुमार, आशा देवी, सेडूराम को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में गणेश कुमार पुत्र रामेश्वर की सम्पति जो ग्राम पचायत बरसिंहपुरा, पंचायत समिति खण्डेला के ग्राम भोजपुर (बरसिंहसर) जिसके पट्टा संख्या 3225 बुक नम्बर 33 दिनांक 05.01.2006 को एक जन आवासीय भू–खण्ड स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढ़ांचा आदि को सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसका नाप 89 वर्गमीटर है। जिसका उप–पंजीयक कार्यालय खण्डेला में रजिस्ट्रेशन दिनांक 24.02.2006 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द नम्बर 52 पेज नम्बर 66 कम संख्या 166 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द नम्बर 79 के पेज नम्बर 36 से 37 पर पंजीबद्व है। जिसके उत्तर में जगदीश प्रसाद सैन, दक्षिण में बजरंग लाल

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अभिभाषकता, स्वीकार

Scanned by CamScanner

नाई की दुकान, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में रामनारायण का मकान, को बंधक रखकर 3,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये तीन लाख लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 09.12.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 09.12.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण गणेश कुमार, आशा देवी, सेडूराम की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक गणेश कुमार पुत्र रामेश्वर की सम्पति जो ग्राम पचायत बरसिंहपुरा, पंचायत समिति खण्डेला के ग्राम भोजपुर (बरसिंहसर) जिसके पट्टा संख्या 3225 बुक नम्बर 33 दिनांक 05.01.2006 को एक जन आवासीय भू–खण्ड स्थित है, जिसमें भूमि भवन एवं ढ़ांचा आदि को सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसका नाप 89 वर्गमीटर है। जिसका उप–पंजीयक कार्यालय खण्डेला में रजिस्ट्रेशन दिनांक 24.02.2006 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द नम्बर 52 पेज नम्बर 66 कम संख्या 166 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द नम्बर 79 के पेज नम्बर 36 से 37 पर पंजीबद्व है। जिसके उत्तर में जगदीश प्रसाद सैन, दक्षिण में बजरंग लाल नाई की दुकान,

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में रामनारायण का मकान, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 17 **अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner